

सं. 1/20/2009-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 23 जून, 2009


कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 'फाइल नोटिंग' का प्रकटन ।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय/विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं । एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है ।

2. इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,



(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली ।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
6. सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ।

प्रतिलिपि :- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।